UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 30.01.2025

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव ।

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.01.2025 को वादी श्री योगेश यादव पुत्र रामनरेश नि0 मोहल्ला लोकनगर उन्नाव थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव ने तहरीरी सूचना दी कि मैंने अपनी बहन सबिता उम्र करीब 27 वर्ष की शादी दिनांक 05/7/18 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सचिन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम माखनखेडा थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के साथ की थी। उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर आए दिन सबिता को परेशान व मारपीट किया करते थे। दिनांक 28.01.2025 को समय करीब 12.30 बजे दिन में मेरी बहन सबिता यादव उम्र करीब 27 साल को ससुरालजनों ने मिलकर दहेज को लेकर जान से मार दिया है। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 21/2025 धारा 80/85 B.N.S. व 3/4 डीपी एक्ट का 1. सचिन पुत्र रामकुमार (पति), 2. रामकुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद (ससुर), 3. विपिन पुत्र रामकुमार (जेठ), 4. मिथलेश पत्नी रामकुमार (सास), 5. मोनी पत्नी विनोद (जेठानी), 6. शिवम पुत्र रामकुमार (देवर), 7. आकांक्षा पुत्री रामकुमार (ननद) निवासी गण ग्राम माखन खेडा थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना श्री अरविन्द कुमार क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ द्वारा सम्पादित की जा रही है। साक्ष्य संकलन व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में मृतका के पति सचिन पुत्र रामकुमार को आज दिनांक 30.01.2025 को ग्राम माखनखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सचिन पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम माखनखेड़ा
थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मोर मुकुट पाण्डेय
2. का0 रामनिवास अवस्थी

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 30.01.2025

थाना माखी, जनपद उन्नाव।

पशु क्रूरता अधिनियम व गोवध निवारण अधिनियम का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना माखी पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम व गोवध निवारण अधिनियम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 30.01.2025 को उ0नि0 श्री सुरेश सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा ग्राम गढ़ा अभियुक्त गोपाल धर्मेन्द्र पुत्र छोगा नि0 बडोदिया थाना हिन्डौली जिला बूंदी राजस्थान उम्र करीब 38 वर्ष को कब्जे से 15 राशि गौवंशीय पशुओं के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना माखी पर मु0अ0सं0 20/25 धारा धारा 11 घ पशुक्रूरता अधिनियम व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा बरामदग पशुओं थानागांव गौशाला केयर टेकर विवेक कुमार को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गोपाल धर्मेन्द्र पुत्र छोगा नि0 बडोदिया थाना हिन्डौली जिला बूंदी राजस्थान उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी- 15 राशि गौवंशीय पशु

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुरेश सिंह
2. हे0का0 कृष्णकिशोर सिंह
3. हे0का0 सौरभ मिश्रा
4. का0 ध्रुवचन्द्र

प्रेस नोट - दिनांक 30.01.2025

थाना असोहा, जनपद उन्नाव ।

नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा जे जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.12.2024 को थाना असोहा पर मु0अ0सं0 268/24 धारा 137(2),87 B.N.S. व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। घटना से संबन्धित अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। आज दिनांक 30.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नीरज पुत्र बाल किशन निवासी ग्राम घस्सिलपुरवा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र लगभग 20 वर्ष को कालूखेडा तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नीरज पुत्र बाल किशन निवासी ग्राम घस्सिलपुरवा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र लगभग 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विमलकान्त गोयल
2. उ0नि0 श्री इन्द्रबहादुर सिंह
3. का0 राहुल कुमार